

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2016, लखनऊ, दिनांक: मार्च 08, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल 2016 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत् निर्गत किया जाता है:-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि
1	2	3	4
1	पीठ-1 आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	25.04.16 से 30.04.16
2	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर	25.04.16 से 30.04.16
3	पीठ-1 गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	25.04.16 से 30.04.16
4	पीठ गोरखपुर	पीठ गोरखपुर	11.04.16 से 13.04.16
5	पीठ झाँसी	पीठ झाँसी	25.04.16 से 30.04.16
6	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	25.04.16 से 30.04.16
7	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	18,19, 22 व 23.04.16
8	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ मुजफ्फरनगर	11.04.16 से 13.04.16
9	पीठ मुरादाबाद	पीठ मुरादाबाद	25.04.16 से 30.04.16
10	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	25.04.16 से 30.04.16
11	पीठ-3 वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 5 वाराणसी	25.04.16 से 30.04.16

उपरोक्तानुसार गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण के नाम बाद में यथा-समय घोषित किये जायेंगे।

समस्त पीठ कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाये।

sd. 08/03/16

(डी०एस० त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/630 /2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

.....(2)

